



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 70] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 06, 2019/फाल्गुन 15, 1940
No. 70] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 06, 2019/PHALGUNA 15, 1940

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2019

सं. ओ-12015(11)/1/2019-ओएनजी-II.—तलछटीय बेसिनों के गैर अन्वेषित/गैर आबंटित क्षेत्रों में अन्वेषण कार्यकलाप बढ़ाने, घरेलू तथा विदेशी निवेश आकर्षित करने, मौजूदा क्षेत्रों से तेल और गैस का घरेलू उत्पादन बढ़ाने तथा अनुमोदन प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करके और उनमें तेजी लाकर कारोबार में आसानी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार निम्नलिखित नीतिगत सुधारों को एतद्वारा अधिसूचित करती है :-

1. तलछटीय बेसिनों का श्रेणीकरण

भारत के तलछटीय बेसिनों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :-

- श्रेणी- I बेसिन : वे बेसिन जिनमें सिद्ध वाणिज्यिक उत्पादन सहित प्रमाणित हाइड्रोकार्बन संसाधन हैं।
- श्रेणी- II बेसिन : वे बेसिन जिनमें ऐसे संभाव्य संसाधन हैं जिन्हें प्राप्य भंडारों और वाणिज्यिक उत्पादन में परिवर्तित किया जाना है।
- श्रेणी- III बेसिन : वे बेसिन जिनमें भावी संसाधन हैं तथा कोई हाइड्रोकार्बन खोज नहीं हुई है और कम अन्वेषण संबंधी जानकारी और आंकड़े उपलब्ध हैं।

भारत के तलछटीय बेसिनों की श्रेणी-वार सूची अनुलग्नक- I में दी गई है।

2. गैर-अन्वेषित/गैर-आबंटित क्षेत्रों में अन्वेषण बढ़ाना

गैर-अन्वेषित क्षेत्रों में ऐसे गैर-आबंटित क्षेत्र भी शामिल हैं जिन्हें अन्वेषण और उत्पादन के लिए किसी भी कंपनी को आबंटित नहीं किया गया है।

नीचे दी गई नीतियां केवल उन्हीं क्षेत्रों के लिए भविष्य में लागू होंगी जिन्हें भविष्य में आबंटित किया जाना है।

2.1 श्रेणी I बेसिनों में क्षेत्रों के लिए राजकोषीय और संविदागत शर्तें:

- (i) श्रेणी I बेसिनों में अन्वेषण ब्लकों को अन्वेषण और राजस्व हिस्सेदारी पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोलियों के आधार पर प्रदान किया जाएगा। राजस्व हिस्सेदारी के उद्देश्य से बोलीदाताओं को न्यूनतम राजस्व प्वाइंट (एलआरपी) और उच्चतम राजस्व प्वाइंट (एचआरपी) की तुलना में सरकार के साथ हिस्सेदारी किए जाने वाले राजस्व के प्रतिशत को कोट करना होगा।
- (ii) न्यूनतम राजस्व प्वाइंट (एलआरपी) प्रतिदिन के राजस्व 0.05 मिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य है और उच्चतम राजस्व प्वाइंट (एचआरपी) प्रतिदिन के राजस्व 7 मिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य है। राजस्व हिस्सेदारी की अधिकतम सीमा 50% की दर पर निर्धारित की जाएगी।
- (iii) बोलियों के मूल्यांकन के लिए वरीयता निम्न प्रकार होगी:
- (क) न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी)- 70%
- (ख) सरकार को प्रस्तावित किया जा रहा राजस्व हिस्सा- 30%
- (iv) एमडब्ल्यूपी के मूल्यांकन के लिए वरीयता निम्न प्रकार होगी:
- (क) भूकंपीय सर्वेक्षण-20%
- (ख) कूपों की संख्या- 80%
- (ग) बोलीदाताओं द्वारा भूकंपीय सर्वेक्षण करने और प्रतिबद्धतागत कूपों से संबंधित कार्य पूरा करने की समय-सीमा भी बताई जाएगी। तथापि, यह बोली योग्य नहीं होगा।
- (v) एमडब्ल्यूपी को पूरा करने की समय सीमा जमीनी और उथले समुद्री ब्लकों (जल की गहराई 400 मीटर तक) के लिए 3 वर्ष होगी, तथापि गहरे समुद्री (जल की गहराई 400 मीटर से अधिक परंतु 1500 मीटर तक) और अत्यधिक गहरे समुद्री ब्लकों (जल की गहराई 1500 मीटर से अधिक) के लिए यह सीमा 4 वर्ष होगी।
- (vi) एमडब्ल्यूपी के बाद अतिरिक्त अन्वेषण कार्य और कार्यकलापों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
- (vii) अन्य सभी प्रावधान मौजूदा हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी) के अनुरूप होंगे।

2.2 श्रेणी II और श्रेणी III बेसिनों में क्षेत्रों के लिए राजकोषीय और संविदागत शर्तें:

- (i) श्रेणी II और श्रेणी III बेसिनों में अन्वेषण ब्लकों को विशेष रूप से अन्वेषण कार्य कार्यक्रम पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोलियों के आधार पर प्रदान किया जाएगा।
- (ii) संविदाकार द्वारा रायल्टी सहित सभी सांविधिक उगाहियों का भुगतान किया जाएगा।
- (iii) अप्रत्याशित लाभ के मामलों को छोड़कर सरकार के साथ राजस्व अथवा उत्पादन की कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। संविदाकार को अप्रत्याशित लाभ तब होता है जब किसी एक वित्त वर्ष में संविदा क्षेत्र से रायल्टी का निवल राजस्व 2.5 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक होता है। ऐसे राजस्व की सरकार के साथ हिस्सेदारी निम्न प्रकार की जाएगी।

क्रम सं.	राजस्व	सरकार के साथ प्रतिशत हिस्सेदारी
i.	2.5 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक परंतु 5 बिलियन से कम	2.5 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक पर राजस्व का 10%
ii.	5 बिलियन अमरीकी डालर के बराबर अथवा उससे अधिक परंतु 10 बिलियन से कम	(i) और से राजस्व और 5 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक के राजस्व का 30%
iii.	10 बिलियन अमरीकी डालर के बराबर अथवा इससे अधिक	(i) और (ii) से राजस्व और 10 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक के राजस्व का 50%

2.3 अन्य संविदागत शर्तें :

- (i) एचईएलपी संविदात्मक व्यवस्था के तहत यथा लागू रायल्टी दरें लागू होंगी।
- (ii) शीघ्र उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, यदि संविदा की प्रभावी तारीख से जमीनी और उथले समुद्री ब्लाकों में चार वर्ष के भीतर और गहरे समुद्री और अत्यधिक गहरे समुद्री ब्लाकों में पांच वर्षों के भीतर उत्पादन शुरू हो जाता है तो छूट प्राप्त रायल्टी लागू होगी। रायल्टी की दरें और बेसिन-वार छूट प्राप्त दरें अनुलग्नक- II में दी गई हैं।
- (iii) यदि उपर्युक्त समयावधि के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं होता है तो मौजूदा दरों पर रायल्टी लागू होगी।
- (iv) आर्म्सलेंथ आधार पर बिक्री करने के लिए संविदाकार को पूरी विपणन और मूल्य निर्धारण की आजादी होगी। मूल्य का निर्धारण पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर किया जाएगा। किसी आयात की अनुमति नहीं होगी। सरकार द्वारा कोई आबंटन नहीं किया जाएगा।
- (v) संविदाकार के पास ब्लाक को हस्तांतरित करने/उससे बाहर जाने की आजादी होगी बशर्ते कि कार्य कार्यक्रम का अनुपालन किया गया हो। तथापि, कार्य कार्यक्रम के पूरा नहीं होने की स्थिति में एक उपयुक्त अर्थदंड प्रणाली तैयार की जाएगी।
- (vi) संविदा में हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) की सहमति से क्षेत्र विकास योजना (एफडीपी) को संशोधित करने के लिए पर्याप्त लचीलापन शामिल किया जाएगा।

3. सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति

सचिवों की अधिकारप्राप्त समिति (ईसीएस) का गठन भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 29.06.2018 की अधिसूचना संख्या ओ-27011/1/2017-ओएनजी-II (खंड I) द्वारा किया गया, जिसमें वित्त सचिव, विधि सचिव, सचिव, व्यय विभाग, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस शामिल हैं और यह समिति उन्हीं कार्यों का निर्वहन करेगी जो इस नीति के संबंध में एचईएलपी के तहत सौंपे गए हों। इस नीति के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों, यदि कोई हो, को दूर करने के संबंध में निर्णय लेने के लिए भी ईसीएस को अधिकार प्राप्त बनाया जाएगा।

4. प्राकृतिक गैस के लिए विपणन और मूल्य निर्धारण सुधार

- (i) मौजूदा संविदाओं के मामले में, प्रतिस्पर्धा बोली के जरिए आर्म्सलेंथ आधार पर बिक्री पर विपणन और मूल्य निर्धारण की आजादी उन नई गैस खोजों के लिए दी जाएगी जिनकी क्षेत्र विकास योजना (एफडीपी) का अनुमोदन इस नीति के जारी होने के बाद पहली बार किया गया है। एनओसीज को दिए गए नामांकन ब्लाकों के मामले में, विपणन और मूल्य निर्धारण की आजादी इस शर्त पर दी जाएगी कि नई गैस खोजों के लिए एफडीपी को डीजीएच द्वारा अनुमोदित किया गया हो। नए घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण दिशा निर्देश, 2014 और गैस उपयोगिता/आबंटन नीति ऐसी नई गैस खोजों पर लागू नहीं होगी।
- (ii) प्रशासित मूल्य व्यवस्था (एपीएम) क्षेत्रों से अतिरिक्त गैस उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए, वीएयू परिदृश्य से ऊपर अतिरिक्त उत्पादन पर लागू रायल्टी में 10% की कमी की जाएगी। वीएयू परिदृश्य को तृतीय पक्षकार मूल्यांकन के आधार पर डीजीएच द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
- (iii) पहले से ही विपणन और मूल्य निर्धारण आजादी वाली मौजूदा संविदाएं मौजूदा शर्तों पर बनी रहेंगी।

5. अधिकारप्राप्त समन्वय समिति

अनुमोदनो/मंजूरियों की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने और उसमें तेजी लाने के उद्देश्य से, मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग और अन्य संगत एजेंसियों/ प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों को शामिल करके एक अधिकार प्राप्त समन्वय समिति का गठन किया जाएगा।

6. विवाद समाधान व्यवस्था

विवाद के समाधान के लिए, बाह्य प्रमुख व्यक्तियों/विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी। मौजूदा संविदाओं के संबंध में, यदि संविदा के दोनों पक्षकार लिखित में ऐसे समाधान/माध्यस्थम के लिए सहमत हो और आगे इस बात पर भी सहमत हों कि माध्यस्थम कार्यवाही की मांग नहीं करेंगे, तो विवादों/मतभेदों को समिति को भेजा जाएगा। यह प्रावधान सभी भावी संविदाओं में भी शामिल किया जाएगा।

अमर नाथ, संयुक्त सचिव

अनुलग्नक- I

भारत के 26 तलछटीय बेसिनों की श्रेणी-वार सूची**श्रेणी I**

1. कृष्णा -गोदावरी बेसिन
2. मुंबई अपतट बेसिन
3. असम शेल्फ बेसिन
4. राजस्थान बेसिन
5. कावेरी बेसिन
6. असम-अराकान फोल्ड बेल्ट
7. खम्बात बेसिन

श्रेणी II

1. सौराष्ट्र बेसिन
2. कच्छ बेसिन
3. विंध्यन बेसिन
4. महानदी बेसिन
5. अंडमान-निकोबार बेसिन

श्रेणी III

1. केरल-कोंकण बेसिन
2. बंगाल-पूर्णिचा बेसिन
3. गंगा-पंजाब बेसिन
4. प्रानहिता-गोदावरी बेसिन
5. सतपुड़ा-दक्षिण रीवा-दामोदर बेसिन
6. हिमालयी तलहटी
7. छत्तीसगढ़ बेसिन
8. नर्मदा बेसिन
9. स्पीति-जांसकर बेसिन

10. डेक्कन सिंनेक्लिज बेसिन
11. कडप्पा बेसिन
12. करेवा बेसिन
13. भीम भीमाकलाडगी बेसिन
14. वस्तर बेसिन

अनुलग्नक- II

रॉयल्टी दरें और बेसिन श्रेणी वार रियायती रॉयल्टी दरें

बेसिन श्रेणी	कच्चा तेल						प्राकृतिक गैस					
	जमीनी	उथला समुद्री	गहरा समुद्री		अत्यधिक गहरे समुद्री		जमीनी	उथला समुद्री	गहरा समुद्री		अत्यधिक गहरे समुद्री	
			पहले 7 साल	7 साल बाद	पहले 7 साल	7 साल बाद			पहले 7 साल	7 साल बाद	पहले 7 साल	7 साल बाद
एचईएलपी के तहत मौजूदा रॉयल्टी दरें	12.5	7.5	0	5	0	2	10	7.5	0	5	0	2
श्रेणी-I बेसिन में त्वरित उत्पादन के लिए रियायती दरें	11.25	6.75	0	4.5	0	1.8	9	6.75	0	4.5	0	1.8
श्रेणी- II बेसिन में त्वरित उत्पादन के लिए रियायती दरें	10	6	0	4	0	1.6	8	6	0	4	0	1.6
श्रेणी-III बेसिनों में त्वरित उत्पादन के लिए रियायती दरें	8.75	5.25	0	3.5	0	1.4	7	5.25	0	3.5	0	1.4

नोट: रॉयल्टी उत्पादन की तारीख से लागू होगी ।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**RESOLUTION**

New Delhi, the 28th February, 2019

No. O-12015(11)/1/2019-ONG-II.—To increase exploration activities, attract domestic and foreign investment in unexplored/unallocated areas of sedimentary basins, and enhance domestic production of oil and gas from existing fields and promote ease of doing business by streamlining and expediting the approval processes, the Government of India hereby notifies the following policy reforms:

1. Categorization of Sedimentary Basins:

Sedimentary Basins of India are classified into the following three categories:

- i. Category-I Basins: Basins which have proven hydrocarbon resources with established commercial production.
- ii. Category-II Basins: Basins which have contingent resources which are yet to be converted to recoverable reserves and commercial production.
- iii. Category-III Basins: Basins which have prospective resources with no hydrocarbon discovery and few exploration inputs and data.

The Category-wise list of Sedimentary Basins of India is at Annexure-I.

2. Increasing Exploration in Unexplored/Unallocated Areas:

Unexplored areas will also include unallocated areas which have not been allocated to any entity for exploration and production.

The policies as below are to be applicable prospectively only to such areas to be allocated in future:

2.1. Fiscal and Contractual Terms for areas in Category - I Basins

- i. The Exploration blocks in Category-I Basins will be awarded on the basis of international competitive bids based on exploration cum revenue sharing. For the purpose of revenue share, the bidders will quote the percentage of revenue to be shared with the Government against Lower Revenue Point (LRP) and Higher Revenue Point (HRP).
- ii. The Lower Revenue Point (LRP) is equal to USD 0.05 million of revenue per day and Higher Revenue Point (HRP) is equal to USD 7 million revenue of per day. The Revenue sharing ceiling at HRP will be set at 50%.
- iii. For evaluation of bids, weightage will be as under:
 - a. Minimum Work Programme (MWP) – 70%
 - b. Revenue share being offered to the Government- 30%
- iv. For evaluation of MWP, weightage will be as under:
 - a. Seismic survey - 20%
 - b. Number of Exploratory wells - 80%.
 - c. The time spread for performing seismic survey and completion of committed number of exploratory well will also be submitted by bidders. However, it will be non-biddable.
- v. Timelines for completion of MWP will be 3 years for onland and shallow water blocks (upto 400 meters of water depth), however, the same will be 4 years for Deepwater (beyond 400 meters but up to 1500 meters of water depth) and Ultra deep water blocks (beyond 1500 meters of water depth).
- vi. There will be no bar on additional exploration work and activities beyond MWP.
- vii. All other provisions will be similar to that of existing Hydrocarbon Exploration and Licensing Policy (HELP).

2.2. Fiscal and Contractual Terms for areas in Category-II and Category-III Basins

- i. The Exploration blocks in Category-II and Category-III Basins will be awarded on the basis of international competitive bids based exclusively on exploration work programme.
- ii. All statutory levies including royalty will be paid by the Contractor.

- iii. There will be no revenue or production sharing with Government except in case of a windfall gain. A Windfall gain accrues to the Contractor when revenue net of royalty from the contract area exceeds USD 2.5 billion in a financial year. Such revenue will be shared with Government as below:

S. No.	Revenue	% sharing with Government
i.	More than USD 2.5 billion but less than 5 billion	10% of revenue exceeding USD 2.5 billion
ii.	Equal to or more than USD 5 billion but less than USD 10 billion	Revenue from (i) and 30% of revenue exceeding USD 5 billion
iii.	Equal to or more than USD 10 billion	Revenue from (i) and (ii) and 50% of revenue exceeding USD 10 billion

2.3. Other Contractual Terms:

- i. Royalty rates as applicable under HELP contractual regime will apply.
- ii. To expedite production, concessional royalty rates will be applicable if production is commenced within four years for onland and shallow water blocks, and five years for deep water and Ultra deep water blocks from the effective date of contract. Royalty rates and basin category wise concessional royalty rates are at Annexure-II.
- iii. In case commercial production is not commenced in the above prescribed time period, then royalty at existing rates will be applicable.
- iv. The Contractor will have full marketing and pricing freedom to sell on arm's length basis. Discovery of prices will be on the basis of transparent and competitive bidding. No exports will be allowed. There will be no allocation by Government.
- v. The Contractor will have liberal freedom to transfer/exit the block provided work programme has been adhered to. However, a suitable penalty mechanism will be devised for non-completion of work programme.
- vi. There will be adequate flexibility to revise the Field Development Plan (FDP) with the concurrence of Directorate General of Hydrocarbons (DGH).

3. Empowered Committee of Secretaries

The Empowered Committee of Secretaries (ECS) comprising of Finance Secretary, Law Secretary, Secretary, Department of Expenditure, Secretary, Department of Economic Affairs and Secretary, Petroleum and Natural Gas, constituted vide notification no. O-27011/1/2017-ONG-II (Volume I) dated 29.06.2018 published in the Gazette of India, will perform the same functions as assigned to it under HELP with respect to this Policy also. The ECS will also be empowered to take decisions for removal of difficulties, if any, in implementation of this Policy.

4. Marketing and Pricing Reforms for Natural Gas

- i. In case of the existing contracts, marketing and pricing freedom to sell on arm's length basis through competitive bidding will be permitted to those new gas discoveries whose Field Development Plan (FDP) will be approved for the first time after the date of issuance of this policy. In case of nomination fields given to NOCs, marketing and pricing freedom will be provided subject to the condition that FDP for new gas discoveries is approved by DGH. The New Domestic Natural Gas Pricing Guidelines, 2014 and Gas Utilisation/Allocation policy will not be applicable on such new gas discoveries.
- ii. To incentivize additional gas production from Administered Price Mechanism (APM) fields, reduction in royalty by 10% of the applicable royalty will be granted on the additional production over and above BAU scenario. BAU scenario will be approved by DGH on third party evaluation.
- iii. Existing contracts already having marketing and pricing freedom would continue on the existing terms.

5. Empowered Coordination Committee

An Empowered Coordination Committee under the Cabinet Secretary comprising of representatives of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Ministry of Defence, Department of Space and other relevant agencies/authorities will be constituted for streamlining and expediting grant of approvals/clearances.

6. Dispute Resolution Mechanism

A Committee of external eminent persons/experts will be constituted for dispute resolution. For existing contracts, disputes or differences between the Contracting parties can be referred to the Committee if both the parties to the contract agree in writing for such conciliation or mediation and further agree to not invoke arbitration proceedings thereafter. This provision will also be incorporated in all future contracts.

AMAR NATH, Jt. Secy.

Annexure-I**Category-wise list of 26 Sedimentary Basins of India****Category I**

1. Krishna -Godavari Basin
2. Mumbai Offshore Basin
3. Assam Shelf Basin
4. Rajasthan Basin
5. Cauvery Basin
6. Assam-Arakan Fold Belt
7. Cambay Basin

Category II

1. Saurashtra Basin
2. Kutch Basin
3. Vindhyan Basin
4. Mahanadi Basin
5. Andaman-Nicobar Basin

Category III

1. Kerala -Konkan Basin
2. Bengal-Purnea Basin
3. Ganga-Punjab Basin
4. Pranhita-Godavari Basin
5. Satpura-South Rewa-Damodar Basin
6. Himalayan Foreland
7. Chhattisgarh Basin
8. Narmada Basin
9. Spiti -Zaskar Basin
10. Deccan Syneclise Basin
11. Cuddapah Basin
12. Karewa Basin
13. Bhima -Kaladgi Basin
14. Bastar Basin

Annexure-II

Royalty rates and Basin category-wise Concessional Royalty rates

Basin Category	Crude Oil						Natural Gas					
	Onland	Shallow water	Deepwater		Ultra-deepwater		Onland	Shallow water	Deepwater		Ultra-deepwater	
			First 7 Years	After 7 Years	First 7 Years	After 7 Years			First 7 Years	After 7 Years	First 7 Years	After 7 Years
Existing Royalty Rates under HELP	12.5	7.5	0	5	0	2	10	7.5	0	5	0	2
Concessional Rates for early Production in Category-I Basins	11.25	6.75	0	4.5	0	1.8	9	6.75	0	4.5	0	1.8
Concessional Rates for early Production in Category II Basins	10	6	0	4	0	1.6	8	6	0	4	0	1.6
Concessional Rates for early Production in Category III Basins	8.75	5.25	0	3.5	0	1.4	7	5.25	0	3.5	0	1.4